यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चम्बा, टिहरी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चम्बा, टिहरी गढ़वाल** के माह **12/2016** से माह **11/2020** तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री नित्यानन्द सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री भारत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री आशीष, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **21.12.2020** से **30.12.2020** तक श्री आर.के.जोगी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में संपादित की गई।

भाग-I

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रविन्द्र कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अरविन्द शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **17.12.2016** से **28.12.2016** तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गई थी। जिसमें माह **04/2014** से **11/2016** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **12/2016** से **11/2020** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- इकाई द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय विभागों के निर्माण एवं मरम्मत कार्य सम्पादित कराये जाते हैं।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(धनराशि `लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/ आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/ आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2016-17	299.018	2070.135	66.217	85.878	279.357	370.414	1799.721	640.828
2017-18	279.357	640.828	52.137	94.489	237.005	1637.680	1992.804	285.704
2018-19	237.005	285.704	67.389	92.026	212.368	1956.590	1091.997	1150.297
2019-20	212.368	1150.297	64.559	57.899	219.028	1116.504	1402.103	864.698
2020-21 (Upto 11/2020)	219.028	864.698	33.761	82.987	169.802	727.820	870.698	721.820

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(धनराशि ` लाख में)

योजना का नाम	2016-17 to 2020-21 (Upto 11/2020)		
	प्रारंभिक अवशेष	**प्राप्ति**	**व्यय**
शून्य			

(i) इकाई एक कार्यदायी संस्था है जिसके द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय विभागों के निर्माण एवं मरम्मत कार्य सम्पादित कराये जाते हैं। इकाई को बजट का आवंटन राज्य सरकार द्वारा ग्राहक विभाग के माध्यम से किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को शामिल करते हुए इकाई **"ब"** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निमन्वत है:- **सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता (अध्यक्ष), उत्तराखण्ड शासन →प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून→ मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून→महाप्रबन्धक (गढ़वाल), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून→परियोजना प्रबन्धक।**

(ii) **लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः-** लेखापरीक्षा में इकाई द्वारा संपादित कराये गये निक्षेप कार्यों की जांच की गई। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चम्बा, टिहरी गढ़वाल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **12/2017** एवं **03/2019 (व्यय)** तथा माह **01/2017** एवं **03/2018 (आय)** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। इकाई द्वारा संपादित कराये गये निक्षेप कार्यों का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग – II (अ)

प्रस्तर-1: निष्फल व्यय रुपये 122.97 लाख।

क)- उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा तैयार किए गए प्रारम्भिक प्राक्कलन के आधार पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा "राजकीय इंटर कॉलेज, मुस्टिकसौड़, भटवाड़ी (उत्तरकाशी) में शिक्षकों के लिए आवासीय भवन निर्माण कार्य" हेतु रुपये 25.17 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह नवम्बर 2006 में प्रदान की गयी थी। उपरोक्त स्वीकृति के अंतर्गत 10 शिक्षकों एवं एक प्रधानाचार्य हेतु हॉस्टल का निर्माण किया जाना था तथा उक्त कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, चम्बा की लेखापरीक्षा (माह – 12/2020) में पाया गया था कि उक्त कार्य के सम्पादन हेतु ग्राहक विभाग[1] द्वारा रुपये 15.00 लाख एवं रुपये 10.17 लाख की धनराशि विभाग को क्रमश: माह-03/2007 एवं 03/2009 में उपलब्ध करा दी गयी थी तथा विभाग द्वारा भवन का निर्माण कार्य विभागीय स्तर पर किया जा रहा था। उपरोक्त शासनादेश में वर्णित निर्देशानुसार निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना था तथा निर्माण कार्य में विलम्ब के कारण लागत में हुई वृद्धि का उत्तरदायित्व संबन्धित कार्यदायी संस्था का था। शासनादेश में वर्णित निर्देशानुसार विभाग द्वारा उक्त भवन का निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना चाहिए था। परंतु लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया था कि वर्तमान तक विभाग द्वारा कुल उपलब्ध धनराशि रुपये 25.17 लाख का व्यय किए जाने के उपरान्त भी निर्माण कार्य में केवल 40 प्रतिशत भौतिक प्रगति ही प्राप्त की जा सकी थी तथा निर्माण कार्य वर्ष 2010 से अवरुद्ध था। विभाग द्वारा उक्त कार्य को पूर्ण किए जाने हेतु रुपये 47.10 लाख एवं रुपये 81.82 का पुनरीक्षित प्राक्कलन गठित कर क्रमश: दिनाँक – 29.04.2010 एवं दिनाँक - 30.06.2017 को शासन को प्रेषित किया गया था परंतु पुनरीक्षित प्राक्कलन पर शासन से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण उक्त निर्माण कार्य विगत 10 वर्षों से अवरुद्ध था जिसके परिणामस्वरूप उक्त अर्धनिर्मित भवन के निर्माण पर किया गया व्यय रुपये 25.17 लाख निष्फल सिद्ध हुआ था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि प्रारम्भिक प्राक्कलन वर्ष 2005 की प्लिंथ एरिया की दरों पर तैयार किया गया था तथा ग्राहक विभाग द्वारा उक्त कार्य हेतु धनराशि वर्ष 2007 में उपलब्ध कराये जाने के कारण कार्य को उक्त दरों पर संपादित कराया जाना संभव नहीं था। यह भी कि उक्त कार्य का पुन: पुनरीक्षित प्राक्कलन वर्तमान प्रचलित दरों पर तैयार कर शासन को प्रेषित किया जाएगा।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ग्राहक विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के तीन माह के भीतर ही रुपये 15.00 लाख की धनराशि विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा भवन निर्माण का कार्य समय से पूर्ण किया जाना चाहिए था जोकि विभाग द्वारा नहीं किया गया था।

ख)- उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा तैयार किए गए प्रारम्भिक प्राक्कलन के आधार पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा "राजकीय इंटर कॉलेज, साल्ड़ (उत्तरकाशी) के भवन के निर्माण हेतु रुपये 97.80 लाख की

[1] उत्तराखण्ड शिक्षा विभाग, उत्तरकाशी

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह मार्च 2010 में प्रदान की गयी थी। उक्त स्वीकृति के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज, साल्ड़ हेतु एक गैर-आवासीय भवन का निर्माण किया जाना था तथा उक्त कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, चम्बा की लेखापरीक्षा (माह – 12/2020) में पाया गया था कि उक्त कार्य के सम्पादन हेतु ग्राहक विभाग[2] द्वारा रुपये 97.80 लाख की धनराशि विभाग को माह-03/2015 तक उपलब्ध करा दी गयी थी तथा विभाग द्वारा भवन के निर्माण कार्य हेतु दो[3] अनुबंधों का गठन कर कार्य संपादित कराया गया था। उपरोक्त कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में जारी शासनादेश दिनाँक – 17.01.2015 में वर्णित निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा स्वीकृत धनराशि से ही विद्यालय के समस्त कार्यों को पूर्ण कर भवन ग्राहक विभाग को हस्तगत किया जाना था। परंतु लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया था कि वर्तमान तक विभाग द्वारा कुल उपलब्ध धनराशि रुपये 97.80 लाख का व्यय किए जाने के उपरान्त भी निर्माण कार्य में केवल 40 प्रतिशत भौतिक प्रगति ही प्राप्त की जा सकी थी तथा निर्माण कार्य वर्ष 2015 से अवरुद्ध था। विभाग द्वारा उक्त कार्य को पूर्ण किए जाने हेतु रुपये 299.83 लाख एवं रुपये 196.15 लाख का पुनरीक्षित प्राक्कलन गठित कर क्रमश: दिनाँक – 06.01.2015 एवं दिनाँक - 04.06.2017 को शासन को प्रेषित किया गया था परंतु पुनरीक्षित प्राक्कलन पर शासन से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण उक्त निर्माण कार्य विगत 05 वर्षों से अवरुद्ध था जिसके परिणामस्वरूप उक्त अर्धनिर्मित भवन के निर्माण पर किया गया व्यय रुपये 97.80 लाख निष्फल सिद्ध हुआ था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य हेतु इकाई द्वारा छ: बार निविदा आमंत्रित की गयी थी। छठी बार दिनाँक – 26.04.2014 द्वारा आमंत्रित निविदा के क्रम में एकल निविदा प्राप्त हुई तत्पश्चात वर्ष 2014 में कार्य के सम्पादन हेतु अनुबंध गठित किया गया था। यह भी कि उक्त कार्य के पुनरीक्षित प्राक्कलन के सापेक्ष शासन से पूर्ण धनराशि प्राप्त होने के 18 माह के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य हेतु लंबी अवधि तक निविदा प्राप्त न होने की स्थिति में विभाग द्वारा कार्य का नवीनतम दरों पर पुनरीक्षित प्राकलन गठित कर तथा शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिए था। स्वीकृति प्राप्त होने के चार वर्ष पश्चात कार्य प्रारम्भ किए जाने के कारण कार्य मूल दरों पर पूर्ण नहीं किया जा सका था तथा रुपये 97.80 की लागत से निर्मित अपूर्ण भवन उपयोग की स्थिति में नहीं था।

अत: विभागीय लापरवाही के परिणामस्वरूप रुपये 122.97 लाख के निष्फल व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

---

[2] उत्तराखण्ड शिक्षा विभाग, उत्तरकाशी

[3] अनुबंध संख्या – 03/परि. प्रब./2014-15 एवं अनुबंध संख्या – 01/परि. प्रब./2015-16 का गठन क्रमश: दिनाँक – 01.08.2014 एवं 01.04.2015 को किया गया था जिसके सापेक्ष कार्य क्रमश: दिनाँक – 28.02.2015 एवं 31.01.2016 तक पूर्ण किया जा चुका था।

भाग-II (ब)

प्रस्तर 1 : ` 2.23 करोड़ की लागत से कराये जा रहे कार्यों का समय पर पूर्ण न किया जाना, `75,000/- के करों (GST & Income Tax) की देय तिथि से 05 माह बाद कटौती किया जाना तथा `4,74,343/- की Additional Performance Security की वसूली न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपने पत्रांक संख्या 904/XX-1-2013-5(17)20 दिनांक 25.03.2013 के माध्यम से **जनपद-उत्तरकाशी में थाना मनेरी के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों** हेतु स्वीकृत धनराशि **`165.83 लाख** के सापेक्ष **`120.00 लाख** की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तदोपरांत आवासीय/अनावासीय भवनों के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु पुनरीक्षित आगणन के आधार पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपने पत्रांक संख्या 502/XX-8/2018-5(17)2012 दिनांक 05.11.2018 के माध्यम से **`322.55 लाख** की पुनरीक्षित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसमें से पूर्व में अवमुक्त धनराशि **`120.00 लाख** को घटाते हुए **`202.55 लाख** की अवशेष धनराशि दिनांक 05.11.2018 को अवमुक्त की गई थी। उपरोक्त कार्यों को करवाये जाने हेतु इकाई द्वारा दो[4] अनुबन्ध निम्नानुसार गठित किए गए थे:-

(i) पूर्व में स्वीकृत धनराशि **`165.83 लाख** के सापेक्ष गठित अनुबन्ध संख्या 03/जी.एम./2016-17 दिनांक 07.06.2016 के अनुसार **जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पुलिस थाना, मनेरी के भवन का निर्माण कार्य** किया जाना था। अनुबन्ध के अनुसार कार्य को दिनांक 10.06.2016 को आरम्भ कर दिनांक 09.06.2018 तक पूर्ण किया जाना था।

(ii) पुनरीक्षित आगणन के आधार **`322.55 लाख** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इकाई द्वारा **जनपद उत्तरकाशी में थाना, मनेरी के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य** हेतु दिनांक 28.02.2019 को दूसरा अनुबन्ध (24/महाप्रबन्धक (गढ़.)/2018-19 दिनांक 28.02.2019) गठित किया गया। अनुबन्ध के अनुसार कार्य को दिनांक 07.03.2019 को आरम्भ कर दिनांक 06.06.2020 तक पूर्ण किया जाना था।

प्रथम अनुबंधित कार्य, **जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पुलिस थाना, मनेरी के भवन का निर्माण कार्य** की जांच में पाया गया कि:-

(i) उपरोक्त निर्माण कार्य को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से 30 माह (लगभग 129 सप्ताह) से अधिक की अवधि बीतने के पश्चात भी लेखापरीक्षा तिथि (दिसम्बर 2020) तक पूर्ण नहीं किया गया

---

[4] (i) 03/जी.एम./2016-17 दिनांक 07.06.2016 – लागत `1,25,95,905.00

(ii) 24/महाप्रबन्धक (गढ़.)/2018-19 दिनांक 28.02.2019 – लागत `96,83,227.00

था। ठेकेदार द्वारा कार्य समय पर पूर्ण न करने के बावजूद अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार पर कोई क्षतिपूर्ति (Liquidated Damages) अथवा पेनल्टी अध्यारोपित नहीं की गई थी जबकि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 36(ड़) के अनुसार निर्माण कार्यों में विलम्ब के लिए संविदा मूल्य के 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से `81,24,358/- (0.5% of `1,25,95,905.00 x 129 सप्ताह) परन्तु अधिकतम, संविदा मूल्य के 10 प्रतिशत के अनुसार **`12,59,590/-** की क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी थी।

(ii) संबन्धित ठेकेदार/इकाई द्वारा उपरोक्त कार्य का बीमा नहीं करवाया गया था जबकि अनुबन्ध के Clause 17.1 के अनुसार ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर, कार्य शुरू होने से Defect Liability Period समाप्त होने तक प्रस्तर संख्या 17.1 में वर्णित मदों के सापेक्ष बीमा कराकर नियोक्ता को उपलब्ध कराया जाना था। अनुबन्ध की शर्त संख्या 17.3 के अनुसार यदि निर्धारित अवधि के भीतर ठेकेदार बीमा करवाकर पॉलिसी एवं प्रमाण पत्र नियोक्ता को उपलब्ध नहीं करवाता है, तो उक्त बीमा नियोक्ता द्वारा स्वयं कराया जाये तथा भुगतान की गई प्रीमियम की धनराशि की ठेकेदार को किए जाने वाले भुगतान से कटौती कर ली जाये।

द्वितीय अनुबंधित कार्य, **जनपद उत्तरकाशी में थाना, मनेरी के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य** की जांच में पाया गया कि:-

(i) उपरोक्त कार्य को भी कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से 06 माह बाद भी लेखापरीक्षा तिथि (दिसम्बर 2020) तक पूर्ण नहीं किया गया था। इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक संबन्धित ठेकेदार को ना तो समयवृद्धि प्रदान की गई थी और ना ही अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार उस पर कोई क्षतिपूर्ति अथवा पेनल्टी अध्यारोपित की गई थी।

(ii) अनुबन्ध को Clause 17.1 एवं Contract Data के अनुसार पूर्व की भाँति ठेकेदार अथवा इकाई द्वारा इस कार्य का भी बीमा नहीं करवाया गया था।

(iii) दिनांक 25.01.2020 को ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के सापेक्ष `25,00,000/- के अग्रिम का भुगतान किया गया था परन्तु ठेकेदार के बिल से उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-51 के अनुसार 2% GST (TDS) के रूप में `50,000/- तथा Income Tax Act, 1961 की धारा 194-C के अनुसार 1% आयकर `25,000/- इस प्रकार कुल `75,000/- की कटौती नहीं की गई थी। उक्त करों की कटौती 05 महीने बाद दिनांक 01.06.2020 को की गई थी जिसके कारण शासन को 05 महीने तक राजस्व से वंचित रहना पड़ा।

(iv) उपरोक्त कार्य हेतु ठेकेदार द्वारा दी गई दरें स्वीकृत लागत के सापेक्ष 15.90 प्रतिशत कम थीं जिस पर उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 770/III(2)/17-20(सामान्य)/2011 टी.सी.1 दिनांक 12 जून 2017 के अनुसार 5% अतिरिक्त परफ़ोर्मेंस सिक्योरिटी (Additional Performance Security) की कटौती की जानी थी परन्तु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक किए गए भुगतान

`94,86,863/- के सापेक्ष 5% Additional Performance Security के रूप में `4,74,343/- की कटौती नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि:-

- ग्राहक विभाग द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त कार्यों हेतु निर्देशित किए जाने एवं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उपरोक्त कार्यों को समय से पूर्ण नहीं किया जा सका। वर्तमान में कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। शीघ्र ही उपरोक्त कार्यों की एम.बी. कर भुगतान किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी;
- समयवृद्धि प्रदान करने हेतु उपरोक्त कार्यों के अन्तिम भुगतान से पहले निर्णय लिया जायेगा तथा तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी;
- त्रुटिवश उपरोक्त निर्माण कार्यों का बीमा नहीं कराया गया था। भविष्य में सभी निर्माण कार्यों का अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार बीमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा;
- नियमों की जानकारी के अभाव में 2% GST (TDS) के रूप में `50,000/- तथा Income Tax Act, 1961 की धारा 194-C के अनुसार 1% आयकर `25,000/- इस प्रकार कुल `75,000/- की अग्रिम भुगतान के समय कटौती नहीं की जा सकी थी; तथा
- भूलवश `4,74,343/- की Additional Performance Security की कटौती नहीं की जा सकी थी। ठेकेदार के आगामी देयक से उक्त धनराशि की कटौती किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा ऐसा कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त समय की माँग की गई थी। समय पर कार्य पूर्ण न करने के बावजूद इकाई द्वारा ठेकेदार के साथ ना तो कोई पत्राचार किया गया था और ना ही उस पर अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कोई क्षतिपूर्ति (Liquidated Damages) अथवा पेनल्टी अध्यारोपित की गई थी। उपरोक्त कार्यों को पूर्ण किए जाने से संबन्धित कोई भी अभिलेख जैसे एम.बी. इत्यादि की छायाप्रति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाये गये थे जिससे यह स्पष्ट नहीं था कि उपरोक्त कार्य वास्तव में लेखापरीक्षा तिथि तक पूर्ण हो चुके थे अथवा नहीं। उपरोक्त कार्यों का बीमा न करवाए जाने के कारण संबन्धित ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था तथा उक्त कार्य में कार्यरत मजदूरों के जीवन के अलावा कार्य, सामग्री तथा मशीन इत्यादि को जोखिम पर रखा गया था। ठेकेदार को दिये जा रहे अग्रिम पर नियमानुसार करों की कटौती न किया जाना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसके कारण शासन को 05 महीने तक राजस्व से वंचित रहना पड़ा। भुगतान के समय नियमानुसार करों

की कटौती न करने के कारण इकाई को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसी प्रकार संबन्धित ठेकेदार से `4,74,343/- की Additional Performance Security की वसूली न किया जाना इकाई की लापरवाही को दर्शाता है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-2: अनियमित कार्य निष्पादन

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चम्बा की लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2020) के दौरान अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि प्राविधिक शिक्षा विभाग हेतु राजकीय पालिटेक्निक कॉलेज, ओखलाखाल, जनपद टिहरी के अनावासीय भवन (प्रशासनिक भवन) के निर्माण कार्य हेतु इकाई द्वारा प्रेषित ` 476.14 लाख के प्राक्कलन के सापेक्ष कार्य लागत ` 300.00 लाख तक सीमित रखे जाने हेतु शासन द्वारा जून 2013 में स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त कार्य के निष्पादन हेतु जनवरी 2014 में निविदाएँ आमंत्रित की गईं तथा न्यूनतम निविदादाता[5] के साथ मार्च 2015 में अनुबंध[6] गठित किया गया जिस में कार्य प्रारम्भ की तिथि 04/04/2015 व समाप्ति की तिथि 03/04/2016 निर्धारित की गई।

अभिलेखों के अवलोकन में आगे पाया गया कि कालांतर में कार्यदायी संस्था परिवर्तित कर उक्त कार्य पेयजल निगम से हटा कर उ°प्र° राजकीय निर्माण निगम, रुड़की को सौंपा गया। उ°प्र° राजकीय निर्माण निगम, रुड़की द्वारा गठित आगणन के आधार पर शासन द्वारा मार्च 2014 में परियोजना की लागत को संशोधित करते हुए ` 330.94 लाख किया। इस दौरान उत्तराखंड पेयजल निगम को पुनः कार्यदाई संस्था नामित किया गया (फरवरी 2015)। ओखलखाल से कार्यस्थल तक पहुँच मार्ग नहीं था तथा कार्य स्थल पर चीड़ के वृक्ष थे जिन के पातन की स्वीकृति समय से प्राप्त नहीं की गयी थी। उक्त पहुँच मार्ग हेतु भूमि माह फरवरी 2016 में उपलब्ध कराई गई जिस के कारण तत्समय कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका। इस प्रकार चीड़ के वृक्षों के पातन से पूर्व तथा बिना पहुँच मार्ग के कार्य निष्पादन असंभव होने के बावजूद भूमि उपलब्ध होने से पूर्व ही अनुबंध गठित किया जाना अनियमित था।

मूल आगणन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के मानकों के अनुरूप तैयार नहीं किया गया था तथा उक्त आगणन में प्रशासनिक भवन (दो मंज़िल) 399.10 वर्ग मीटर के कुर्सी क्षेत्रफल में निर्माण किए जाने का प्रावधान था। अगस्त 2015 में ग्राहक विभाग के साथ हुई बैठक में पुनरीक्षित आगणन दो भागों में तैयार किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ जिस में भाग एक में स्वीकृत धनराशि ` 330.94 लाख के

---

[5] श्री मान सिंह रौतेला, नई टिहरी

[6] अनुबंध संख्या 13/महाप्रबंधक/2014-15 दिनांक 26/03/2015

अंतर्गत प्रावधानित कार्य निष्पादित करने तथा भाग दो में शैक्षणिक भवन का निर्माण AICTE मानकों के अनुरूप किए जाने का निर्णय लिया गया।

अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि गठित अनुबंध के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि से प्रशासनिक भवन से संबन्धित प्रावधानित कार्य निष्पादित नहीं कराए गए तथा इस के विरुद्द शैक्षणिक भवन (तीन मंज़िल) का कार्य 828.06 वर्ग मीटर के कुर्सी क्षेत्रफल में प्रारम्भ कराया गया। उक्त निर्माण हेतु नया आगणन तैयार कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही कार्य निष्पादित किया जाना चाहिए था परंतु मार्च 2016 में उपलब्ध धनराशि ` 225.00 लाख से पहुँच मार्ग, स्थल विकास तथा शैक्षणिक भवन के भूतल, प्रथम तल तथा द्वितीय तल के स्ट्रक्चर एवं छत का कार्य कराया गया।

मार्च 2019 में निर्माण हेतु अवशेष धनराशि ` 105.94 लाख अवमुक्त किए गए जिस से वर्णित योजना के अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु एक अन्य अनुबंध[7] उसी ठेकेदार के साथ गठित किया गया जिस के द्वारा पूर्व में गठित अनुबंध के अंतर्गत योजना का निर्माण कार्य निष्पादित किया जा रहा था। उक्त अनुबंध की लागत ` 61.26 लाख थी तथा कार्य प्रारम्भ व समाप्ति की तिथि क्रमशः जनवरी 2020 व जनवरी 2021 निर्धारित थी। इस प्रकार परियोजना हेतु पूर्व में गठित अनुबंध के अंतर्गत न तो कार्य पूर्ण कराया गया और न उक्त अनुबंध का अंतमीकरण किया गया। इस के विरुद्द उसी ठेकेदार के साथ नया अनुबंध गठित कर कार्य निष्पादित कराया गया। इकाई को मार्च 2019 तक पूर्ण स्वीकृत धनराशि ` 330.94 लाख अवमुक्त किए जा चुके थे जिस के सापेक्ष दोनों अनुबंधों के अंतर्गत ` 290.46 लाख का कार्य निष्पादित किए जाने के बावजूद कार्य अपूर्ण व अवरुद्द था।

उपरोक्त के संबंध में पूछे जाने पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि ग्राहक विभाग द्वारा कार्य स्थल उपलब्ध कराया गया था परंतु पहुँच मार्ग न होने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई थी जिस कारण अनुबंध गठन की कार्यवाही की गई। उत्तर में आगे बताया गया कि ग्राहक विभाग के निर्देशानुसार AICTE मानकों पर आधारित नया आगणन गठित कर ग्राहक विभाग के माध्यम से शासन को प्रेषित किया गया था तथा आगणन की स्वीकृति की प्रत्याशा में निर्देशानुसार कार्य प्रारम्भ किया गया। कार्य से संबन्धित अवशेष धनराशि मार्च 2019 में अवमुक्त होने पर गठित अनुबंध के अंतर्गत कार्य न कराए जाने तथा नया अनुबंध गठित करने के संबंध में बताया गया कि कालान्तर में दरों में वृद्दि होने के फलस्वरूप ठेकेदार द्वारा पूर्व निर्धारित दरों पर कार्य करने से मना किया जिस कारण नई निविदाएँ आमंत्रित की गईं और तत्समय DSR के अनुसार न्यूनतम निविदादाता के रूप में उसी ठेकेदार के साथ नया अनुबंध गठित करना पड़ा। कार्य अपूर्ण व अवरुद्द रहने के संबंध में बताया गया कि पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति के उपरांत अवशेष कार्य पूर्ण किए जाएंगे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पहुँच मार्ग व प्रशिक्षण भवन हेतु बिना आगणन तैयार किए तथा बिना शासन की स्वीकृति के कार्य निष्पादित करना अनियमित था जिस के फलस्वरूप लेखापरीक्षा संपादित किए जाने के समय तक कार्य अपूर्ण रहा।

---

[7] अनुबंध संख्या 04/पी॰एम॰/2020-21

अतः अनियमित कार्य निष्पादन का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-II(ब)

प्रस्तर-3: अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में कार्यरत कार्मिकों को नियोक्ता (Employer) द्वारा धनराशि ₹ 58497.76 का कम भुगतान।

अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के मासिक अंशदान का प्रावधान है, और इसी के समतुल्य मासिक अंशदान का प्रावधान नियोक्ता (Employer) द्वारा था, परंतु उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या: 169/42/XXVII (10)/2016/2019 दिनांक: 12 जून 2019 के द्वारा नियोक्ता द्वारा दिये जाने वाले अंशदान को दिनांक: 01 अप्रैल 2019 से 10% से बढ़ाकर 14% (मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते का) कर दिया गया है, जबकि कर्मचारी के अंशदान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

कार्यालय, परियोजना प्रबन्धक निर्माण इकाई, पेयजल संसाधन, विकास एवं निर्माण निगम,चम्बा,टिहरी (गढ़वाल) में उक्त पेंशन योजना में कार्यरत कार्मिकों के एनपीएस अभिलेखो की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कार्मिकों के तो निर्धारित अंशदान (10%) की मासिक कटौती उनके वेतन से की जा रही है, परंतु 01 अप्रैल 2019 से नियोक्ता (Employer) द्वारा निर्धारित पूर्ण अंशदान (14%) मासिक रूप से कार्मिकों को नहीं दिया जा रहा है। इसके स्थान पर उन्हे पूर्व से लागू मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के मासिक अंशदान को दिया जा रहा है। जिसकी वजह से कार्मिकों को प्रति माह 4% अंशदान का भुगतान कम हो रहा है।अर्थात उन्हे नियोक्ता की तरफ से 4% मासिक अंशदान कम प्राप्त हो रहा है।

उक्त योजना में वर्तमान में कार्यालय में कुल एक कार्मिक/एक अधिकारी कार्यरत थे। जिनको 01 अप्रैल 2019 से नियोक्ता द्वारा कम भुगतान किए गए अंशदान की धनराशि की गणना जब लेखपरीक्षा द्वारा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के आधार पर की गई, तो पाया गया कि नियोक्ता द्वारा उक्त एक

कार्मिक को 01 अप्रैल 2019 से तथा एक अधिकारी को 01/09/2020 से 30/09/2020 तक कुल धनराशि ₹ 58497.76 /- का कम भुगतान किया गया । कार्मिक/अधिकारी के कम भुगतान का विवरण प्रस्तर के साथ संलग्न है। संलग्नक 1)

उक्त सभी कार्मिकों के प्रकरण पर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर मे बताया कि उक्त से संबंधित कोई दिशा निर्देश मुख्यालय से प्राप्त नहीं हुए। खंड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है। अत: अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में कार्यरत कार्मिकों को नियोक्ता (Employer) द्वारा कम भुगतान की गई धनराशि ₹ 58497.76 /- का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निमन्वत है:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
37/2007-08	--	01	01,02
01/2011-12	01,02,03,04	01,02,03	शून्य
31/2012-13	--	01	01
41/2014-15	01	01,02,03,04,05,06,07	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा विगत अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध नहीं करवाई गई				

है जिसके कारण विगत अनिस्तारित समस्त प्रस्तरों को यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है।

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

---शून्य---

भाग – V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चम्बा, टिहरी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i) **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**:** **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01.	ई. ए.जे.पी. डोबरियाल	परियोजना प्रबन्धक	13.08.2014 से 21.05.2020 तक
02.	ई. पी.के. अग्रवाल	परियोजना प्रबन्धक	17.06.2020 से 19.08.2020 तक
03.	ई. एन.एस. कटारिया	परियोजना प्रबन्धक	20.08.2020 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चम्बा, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड** को पत्रांक संख्या AMG-II (Non-PSUs)/ले.प./न.ले.प.टि./दल सं.-05/2020-21/14 दिनांकित 04.01.2021 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/AMG-II (Non-PSUs), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून -248195** को प्रेषित कर दी जाय ।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी.-II (Non-PSU)